राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4246/2022

सुनीता मेघवाल –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सह अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा), राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारी, पंचायत समिति नवलगढ, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारी, पी.एस. नवलगढ, झुंझुनू से उप केन्द्र भेडाना, बाडमेर में 550 कि.मी. दूर किए जाने के बावजूद अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में प्रबोधक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दपुरा, अलसीसर, झुन्झुनूं में कार्यरत है (अनुलग्नक–5) राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। उनका यह कहना है कि अपीलार्थी अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारी, पंचायत समिति नवलगढ, झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील के इस प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य आक्षेप है कि अपीलार्थी को अधिशेष माना जाकर स्थानान्तरण किया गया है, जबकि अपीलार्थी अधिशेष नहीं है। अपीलार्थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध आदेश दिनांक 26.08.2019 (अनुलग्नक–4) में अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारी में एल.एच.वी. के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। स्थानान्तरण जनहित में किया गया है। अतः स्थानान्तरण पर टीए/डीए एवं योगकाल नियमानुसार स्वमेव ही देय होगा। अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड, तथ्यों एवं संबंधित आदेशों/निर्देशों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकःप. 11(1)मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि ''as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minsiter for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice." ..... "Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rule 8(iii) of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers.''

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि "that The respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8(iii) of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार

की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10796/20022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशों में यह माना गया है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानांतरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी॰बी॰ स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में यह निर्णीत नहीं किया गया है कि प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह अनिवार्य (Mandatory) रूप से लिखा ही जावे कि पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डी बी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक स्थानांतरण आदेश में उल्लेख किए जाने के निर्देश नहीं है, वरन् उक्तानुसार मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना पर्याप्त माना है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा कोई दुर्भावना की स्थिति विद्यमान नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक .....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य